प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट डबली कलां)

1. मनोज कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकलां तहसील टिब्बी। –वादी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबली कंला तहसील टिब्बी ।
2. प्रियंका पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी
3. मनीषा नाबालिग पुत्री दौलतराम जाति जाट जरिये कुदरती वली पिता दौलतराम पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबली कंला तहसील टिब्बी ।

–प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्याः–288/2017
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
निर्णय दिनांकः–13.6.2018

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– प्रतिवादी सं.1 दौलतराम के नाम से चक नं. 14 डीबीएल के खाता सं. 46/33 में अंकित कुल 7.314 है. में वादी को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं.14 डीबीएल के खाता सं. 46/33 में से प्रतिवादी सं.1 दौलतराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किया जावे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रर्दशों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड	1000/–	जोड	0

Scanned by CamScanner